

should take this crisis, this situation very seriously and come to the rescue of the farmers immediately. Thank you.

Demand to change the name of Uttaranchal as Uttarakhand

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : उपसभाध्यक्ष महोदय, लगभग 6 वर्ष पूर्व 9 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था। इस राज्य के निर्माण में समूचे प्रदेश के लाखों लोगों ने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिये आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने जेल भरो आंदोलन, प्रदर्शन एवं घरने के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अन्ततः केन्द्र सरकार ने क्षेत्र की जनभावनाओं का समादर कर नये राज्य के निर्माण की घोषणा कर दी एवं संसद में यह विधेयक पारित भी हुआ।

नये राज्य के निर्माण की घोषणा के पश्चात् तत्कालीन राज्य सरकार ने इस राज्य का नामकरण उत्तराखण्ड के स्थान पर उत्तरांचल कर दिया। इस नाम को लेकर राज्य के लोगों ने इसका विरोध किया, किन्तु तत्कालीन सत्तारूढ़ राज्य सरकार ने नाम में परिवर्तन करने से इन्कार कर दिया।

सन 2002 के विधान सभा चुनाव के पश्चात् कांग्रेस की सरकार के पदारूढ़ होने के बाद राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप 5 अक्टूबर, 2005 को विधान सभा में "उत्तराखण्ड" राज्य के नाम का प्रस्ताव रखा जो पारित कर दिया गया तथा राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पारित प्रस्ताव की पत्र के माध्यम से जानकारी प्रेषित कर दी एवं अनुरोध किया कि उत्तरांचल के स्थान पर इस राज्य का नामकरण उत्तराखण्ड किया जाये। आश्चर्य की बात है कि केन्द्र सरकार के पास यह प्रस्ताव आज भी विचाराधीन है। प्रदेश की सारी जनता की मांग तर्कपूर्ण एवं औचित्यपूर्ण है तथा पौराणिक एवं ऐतिहासिक आधार पर भी राज्य का नाम उत्तराखण्ड होना चाहिए। उत्तराखण्ड में आम जनता की भावनाओं की उपेक्षा हो रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जन-भावनाओं का आदर करते हुए तथा विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद बिना किसी विलम्ब के "उत्तरांचल" का नाम "उत्तराखण्ड" किया जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव उसके पास काफी समय से पड़ा है और इस प्रस्ताव को पारित करके, इस प्रस्ताव के अनुसार "उत्तराखण्ड" राज्य के निर्माण का नामकरण करने का आदेश पारित किया जाये।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूँ। ...**(व्यवधान)**... संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर रैसपांड करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री हरीश रावत (उत्तरांचल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री वी० नारायणसामी (पांडिचेरी) : सर, हम इसको एसोसिएट करते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : सर, मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार) : सर, मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, उत्तरांचल राज्य...(व्यवधान)... उत्तरांचल राज्य का नाम ...(व्यवधान)...

श्री हरीश रावत : आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे) : ओ0के0। नेक्स्ट मंगनी लाल मंडल जी।...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र : सर, क्या मंत्री जी, स्पेशन मेशन का ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे) : वह खुद बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान)... ओ0के0। ... (व्यवधान)...

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : सम्मानित उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय वीरा जी ने स्पेशल मेशन के जरिए उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखण्ड परिवर्तित करने के लिए जो बात कही है और उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित 5 अक्टूबर, 2005 के प्रस्ताव का उल्लेख किया है। मैं इस संबंध में आपके जरिये यह बताना चाहूंगा कि इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को है और गृह मंत्रालय निश्चित रूप से इस दिशा में न्यायोचित और समुचित कार्यवाही करेगा। वीरा जी न केवल इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, वह साधारण नहीं हैं बल्कि सर्वशक्तिमान हैं। वह इसलिए हैं, क्योंकि वे उत्तरांचल के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जनरल सेक्रेटरी भी हैं। निश्चित रूप से उन्होंने और हमारे इस सम्मानित सदन के सदस्यों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की है कि वहां की जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किया जाए। ... (व्यवधान)...

श्री हरीश रावत : सर, माननीय मंत्री जी क्या यह बताएंगे कि बजट सत्र के दूसरे चरण में क्या सरकार इस संबंध में विधेयक लाएगी? ... (व्यवधान) ... हम यह जानना चाहते हैं, यह हमारा आग्रह है। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्ता मेघे) : वे बोल रहे हैं। ... (व्यवधान) ... वे जो बोल रहे हैं, उनको कहने दीजिए... (व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Let him give a positive reply.

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मैं तो माननीय सदस्यों को केवल यही याद दिलाना चाहूंगा कि मैं जब इस सदन का साधारण सदस्य था, तब प्राइवेट मैबर बिल के रूप में इस सदन में सबसे पहले यह मेरा ही प्रस्ताव था कि उसका नामकरण उत्तराखंड कर देना चाहिए, इसलिए मेरे द्वारा यह कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस विषय में जो अंतिम निर्णय है, गृह मंत्रालय को सभी से विचार-विमर्श करके लेना है। लेकिन यह सरकार उत्तरांचल के जो सभी आदरणीय निवासी हैं, उनकी भावनाओं से परिचित है और यथोचित इस संबंध में कदम उठाए जाने के प्रयास किए जाएंगे।